मुस्लिम महिलाओं का तृतीयक क्षेत्र में कार्य भागीदारी जिला औरंगाबाद के संदर्भ में

कौशर जहां नजमी

मुस्लिम महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा, पर्दा प्रथा एवं परिवार का सहयोग न मिलने की वजह से तृतीयक क्षेत्र जैसे–बैंकिग, बीमा, यातायात, लोकप्रशासन आदि में उनकी भागीदारी काफी कम है।

भारतीय संविधान में महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्ध सम्मिलित किए गए हैं। नागरिकों को उपलब्ध मौलिक अधिकार पुरूषों और स्त्रियों के साथ समान रूप से लागू होते हैं। 'स्वतंत्रता' 'समानता' सरकारी सेवाओं में समान अवसर तथा कई अन्य अधिकारों की उपलब्धि में लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव करने की मनाही की गई है। ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं अपने घर के अन्दर ही कार्यो में व्यस्त रहती हैं। ये ज्यादा पढ़ी–लिखी नहीं होती हैं। लगभग 70 प्रतिशत मुस्लिम महिलायें घर की चारदिवारी तक ही सीमित होती हैं। जबकि दूसरी महिलायें 51 प्रतिशत। देश के आर्थिक विकास में मुस्लिम महिलाओं का योगदान काफी कम है। शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम महिलायें असंगठित क्षेत्र में कार्यरत रहती हैं और वह सरकारी नौकरी की तरफ कम जुझारू रहती हैं। समृद्ध परिवार की मुस्लिम महिलायें ही पढ़–लिख पाती हैं।